	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible] ...कार्यवाही हेतु दिनांक 6/3/26 को पेश हो।	
6/3/26	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थीगण बाजरिये [illegible] अनु.। एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाती है बहस एक-पक्षीय सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दि. 11/3/26 को पेश हो।	
11/3/26	पत्रावली वास्ते आदेश पेश हुई। फैसला सरकार आ./प्रा. पत्र अस्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर सुना दि. किया गया। निर्णय की एक प्रति तहसीलदार तहसील को पालनार्थ भेजी जावे। पत्रावली फैसला अनुसार होकर नम्बर से कम हो बाद तामील तकमील नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तालेड़ा जिला (बून्दी)

पीठासीन अधिकारी श्रीमती मनस्वी नरेश R.A.S

मिसल नं0 328/प्रा0पत्र/2025

तारीख दायरा 03.02.2025

तारीख फैसला 17.03.2026

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार तालेडा जिला बून्दी

प्रार्थी

बनाम

1. नन्दकिशोर पुत्र धन्ना हिस्सा 1/15 जाति खाती निवासी बल्लोप
2. मुकुट पुत्र धन्ना हिस्सा 4/15 जाति खाती निवासी बल्लोप
3. मोड्डू पुत्र छोटू हिस्सा 1/9 जाति खाती निवासी बल्लोप
4. मोहनी पत्नी स्व0 छोटू हिस्सा 1/9 जाति खाती निवासी बल्लोप
5. रुकमणी पत्नी मुकुटबिहारी हिस्सा 1/3 जाति खाती निवासी बल्लोप
6. श्यामलाल पुत्र छोटू हिस्सा 1/9 जाति खाती निवासी बल्लोप

अप्रार्थीगण

उपस्थित अधिवक्ता

अभिभाषक प्रार्थी - पेशेकार सरकार

अभिभाषक अप्रार्थीगण-

:: निर्णय ::

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

प्रार्थी तहसीलदार तालेडा द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत कर अंकित किया कि ग्राम व पटवार मण्डल बल्लोप तहसील तालेडा की आराजी खसरा संख्या 311 रकबा 0.2185 हैक्टे किस्म नहरी 2 भूमि खातेदार 1. नन्दकिशोर पुत्र धन्ना हिस्सा 1/15, 2. मुकुट पुत्र धन्ना हिस्सा 4/15, 3. मोड्डू पुत्र छोटू हिस्सा 1/9, 4. मोहनी पत्नी स्व0 छोटू हिस्सा 1/9, 5. रुकमणी पत्नी मुकुटबिहारी हिस्सा 1/3, 6. श्यामलाल पुत्र छोटू हिस्सा 1/9 जातियान खाती निवासी बल्लोप तहसील तालेडा जिला बुन्दी के नाम भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। जिसकी जमाबन्दी संलग्न है मुताबिक रिपोर्ट पटवारी हल्का बल्लोप अप्रार्थीगण द्वारा ग्राम बल्लोप की आराजी खसरा संख्या 311 रकबा 0.2185 हैक्टे0 किस्म नहरी 2 भूमि जो कि कृषि भूमि है पर अकृषि कार्य किया जा रहा है। उक्त भूमि कृषि भूमि है जबकि अप्रार्थीगण द्वारा बिना सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के तथा बिना सम्परिवर्तन कराये उक्त भुमि को अकृषि उपयोग (दुकाने व ढाबा) किया जा रहा है, जो कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रावधानो के विरुद्ध हैं। उक्त भूमि का बिना सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के तथा बिना सम्परिवर्तन कराये कृषि से भिन्न प्रयोजन हेतु उपयोग करने के कारण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177 का प्रकरण बनता हैं। अप्रार्थीगण के उक्त कृत्य से राज्य सरकार को अपूर्णनीय क्षति होगी जिससे पूर्ति द्रव्य मे सम्भव नही है। राज्य सरकार की ओर से जरये तहसीलदार प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के कारण न्यायालय फीस से मुक्त है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन है कि खातेदार काश्तकार द्वारा कार्य व शर्त भंग करने के कारण ग्राम बल्लोप की आराजी खसरा संख्या 311 रकबा 0.2185 हैक्टे0 किस्म नहरी 2 भूमि सिवायचक सरकार घोषित किया जावें तथा बेदखली के आदेश जारी किये जाकर कब्जाराज लेने के आदेश फरमाने की कृपा करे ।

प्रार्थना पत्र प्रार्थी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जर्ये नोटिस तलब किया गया।

अप्रार्थीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर अप्रार्थीगण के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी।

बहस पैरोकार सरकार एकपक्षीय सूनी गई। दौराने बहस पैरोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी पर अकृषि कार्य किया जाकर कार्य व शर्तें भंग करने के कारण ग्राम बलोप पटवार मण्डल बलोप तहसील तालेडा की आराजी खसरा संख्या 311 रकबा 0.2185 हैक्टे0 किस्म बहरी 2 भूमि शिवायचक सरकार घोषित किया जावें तथा बेदखली के आदेश जारी किये जाकर कब्जाराज लेने के आदेश फरमाने की कृपा करे।

बहस उभयपक्ष सूनने एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन करने पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि अप्रार्थीगण द्वारा वाद वर्णित आराजी खसरा संख्या 311 रकबा 0.2185 हैक्टे0 किस्म बहरी 2 ग्राम बलोप पटवार मण्डल बलोप तहसील तालेडा पर बिना किसी सक्षम स्वीकृति के अकृषि कार्य कर आर्तदार कृषक के कृषि जोत पर अहितकर कार्य एवं शर्त भंग का दोषी होना पाया गया है किन्तु तहसीलदार तालेडा द्वारा उक्त कृषि जोत में कितने हिस्से पर किस प्रकार का अकृषि कार्य किया यथा उक्त अकृषि कार्य हेतु स्थायी रूप से निर्माण कर अकृषि कार्य किया गया अथवा अस्थायी निर्माण किया गया है। साथ ही उक्त निर्माण कितने भूभाग पर व किस प्रकृति का है के सम्बन्ध में नाप चोक व अन्य विवरण प्रार्थना पत्र में अंकित नही किया गया है ना ही प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने से पूर्व कृषि भूमि पर अकृषि कार्य करने पर किन नियमो के तहत क्या कार्यवाही की गई का विवरण अथवा दस्तावेज संलग्न नही किये गये है, ना ही तहसीलदार तालेडा द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र पेश करने से पूर्व भू-स्वामी की हैसियत से कृत कार्यवाही का विवरण संलग्न किया गया है अपूर्ण कार्यवाही के मध्यनजर न्यायालय द्वारा किसी भी प्रकार का अंतिम निर्णय पारित किया जाना न्यायोचित प्रतीत नही होता है।

आदेश

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी तहसीलदार तालेडा द्वारा प्रस्तुत कार्यवाही अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अपूर्ण दस्तावेज एवं स्पष्ट रिपोर्ट के अभाव में अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। तहसीलदार तालेडा को निर्देशित किया जाता है कि नियमानुसार स्वयं के स्तर की वांछनीय कार्यवाही की जाकर पूर्ण दस्तावेजो व स्पष्ट रिपोर्ट के साथ न्यायालय में पुनः प्रार्थना पत्र पेश किया जावे।

यह निर्णय आज दिनांक 17.03.2026 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(मनसी जरेश)
उपखण्ड अधिकारी
तालेडा